Your Roll No.

LL.B. / III Term

ES

Paper LB-302 – LIMITATION AND ARBITRATION

Time: 3 hours

Maximum Marks: 100

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note:— Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी:— इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Attempt five questions in all, selecting at least two questions from each Part. All questions carry equal marks.

कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग में से **दो** प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Part I (भाग I)

- 1. Attempt any two of the following:—
 - (a) Limitation bars only remedy but does not destroy the right itself. Explain and elucidate if there is any exception to it.

- (b) Effect of fraud and mistake on the Law of Limitation.
- (c) Explain the bar of limitation contained in section 3 of the Limitation Act, 1963.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए:

- (a) परिसीमा केवल उपचार को वर्जित करती है पर स्वयं अधिकार को विनष्ट नहीं करती है। यदि इसका कोई अपवाद है तो उसको स्पष्ट तथा खुलासा कीजिये।
- (b) परिसीमा विधि पर कपट तथा त्रुटि का प्रभाव।
- (c) परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 में उल्लेखित परिसीमावर्जन की व्याख्या कीजिए। 20
- 2. Although no special indulgence can be shown to the Government which in similar circumstances, is not shown to the individual suitor one cannot but take practical view of the working of the Government without being unduly indulgent to the slow motion of its wheels. Explain the above statement with respect to condonation of delay on sufficient cause under Section 5 of the Limitation Act of 1963.

यद्यपि सरकार को विशेष अनुग्रह, जो वादी व्यक्ति को नहीं दर्शाया जाता है, नहीं दर्शाया जा सकता है किन्तु सरकार के कार्यचालन के बारे में उसके पहियों की मन्थर गति के प्रति अत्यधिक उदार हुये बिना व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना सकता है। परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत पर्याप्त

| कारण | पर | विलम्ब | की | माफी | के | बारे | में | उक्त | कथन | की | व्याख्या |
|-------|----|--------|----|------|----|------|-----|------|-----|----|----------|
| कीजिए | ĮΙ | | | | | | | | | | 20 |

- 3. (a) Discuss the true scope of the expression 'time requisite for obtaining a copy of the decree, sentence or order appealed from' in Section 12(2) of the Limitation Act of 1963.

 परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 12(2) में 'डिक्री, दंडादेश या आदेश, जिससे अपील की गई है, की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु अपेक्षित समय' अभिव्यक्ति की सही परिव्याप्ति का विवेचन कीजिए।
 - (b) Discuss the legal disabilities covered under the law of limitation. Whether Section 8 constitutes an exception to the rule of disabilities?

 परिसीमा विधि के अन्तर्गत समाहित विधिक नि:शक्तता का विवेचन कीजिए।
- 4. (a) Describe the distinctions between Section 18 and Section 19 of the Limitation Act of 1963. What is the effect of ackowledgement under Section 19 if it is made after the expiry of the period of limitation?

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 और धारा 19 के बीच सुभेद का वर्णन कीजिये। यदि प्राप्ति सूचना परिसीमा अविध की समाप्ति के बाद दी जाती है तब इसका धारा 19 के तहत क्या परिणाम होता है?

| (b) | What is the distinction between Article 113 and Article 137 of the Schedule to the Limitation Act | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| `` | | | | | | | | | |
| | of 1963? | | | | | | | | |
| | परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद | 113 | | | | | | | |
| | और अनुच्छेद 137 के बीच क्या भेद होता है ? | 10 | | | | | | | |

- 5. (a) What are the essential ingredients of the Arbitration Agreement contained in Section 7 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996?

 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 7 में उल्लिखित माध्यस्थम करार के आवश्यक घटकांग क्या हैं?
 - (b) Discuss the grounds and procedure to challenge the appointment of Arbitrators.

 माध्यस्थों की नियुक्ति को आक्षेपित करने के लिये आधार तथा प्रक्रिया का विवेचन कीजिए।

 10
- 6. Discuss the law laid down by the Supreme Court in 'Bharat Aluminium Co. vs. Kaiser Aluminium Technical Service, SLT (2012) 71 Vol VII' and explain in what manner it has overruled the judgement in 'Bhatia International vs. Bulk Trading SA, AIR 2002 SC 1432.

उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी बनाम केसर एल्यूमिनियम टेक्नीकल सर्विस एस०एल०टी० (2012) 71 खंड VII में अधिकथित विधि का विवेचन कीजिये तथा स्पष्ट कीजिये इसने भाटिया इन्टरनेशनल बनाम बल्क ट्रेडिंग एस०ए० ए॰ आई॰ आर॰ 2002 एस॰ सी॰ 1432 में निर्णय को किस रीति से उलट दिया है।

7. Elucidate the principles laid down by SC in SBP & Co. vs. Patel Engineering Ltd., 2005 (8) SCC 618, for deciding an issue regarding the nature of the function of the Chief Justice or his designate under Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अन्तर्गत मुख्य न्यायमूर्ति या उसके पदाभिहित के कार्यों के स्वरूप के बारे में किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने हेतु SBP & Co. vs. Patel Engineering Ltd. 2005 (8) SCC 618 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धान्तों का विशदीकरण कीजिए।

8. Attempt any two of the following:

- (a) Validity of an award given by even number of Arbitrators
- (b) Competence of the Arbitral Tribunal to rule on its jurisdiction
- (c) Can an issue of winding up of a Company be referred to Arbitral Tribunal?

निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर लिखिए:

(a) समान संख्या में मध्यस्थों द्वारा किया गया अधिनिर्णय की विधिमान्यता

- (b) माध्यस्थम अधिकरण की अपनी अधिकारिता पर नियम तय करने की सक्षमता
- (c) क्या किसी कम्पनी के परिसमापन के विवाद्यक को माध्यस्थम अधिकरण को निर्देशित किया जा सकता है?